

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:—स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / 1148 / 2025

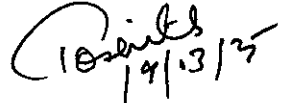
दिनांक : 20.03.2025

श्री सतीश चन्द कौशिक (RJ00236), विशिष्ट न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005, नागौर को दिनांक 15.01.2025 से 24.01.2025 तक 10 दिनों का परावर्तित अवकाश दिनांक 25.01.2025 से 26.01.2025 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

श्री कौशिक की अनुपस्थिति में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश कम-01, नागौर/अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश कम-02, नागौर/वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नागौर ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति विशिष्ट न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005, नागौर के पद पर ही की गई।

आज्ञा से



रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक:—स्था.बी.2(4)/48/1996/

दिनांक 20.03.2025

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005, नागौर को उनके पत्रांक 05 दिनांक 27.01.2025 के सन्दर्भ में।
3. श्री सतीश चन्द कौशिक (RJ00236), विशिष्ट न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005, नागौर।
4. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश कम-01, नागौर।
5. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश कम-02, नागौर।
6. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नागौर।


सहायक रजिस्ट्रार